UPBB010026442026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०) एक्ट, बाराबंकी।

एफ०आर० संख्या–413/2026

राज्य बनाम कन्हैया बख्श सिंह

अ०सं०–1306/2022
धारा– 138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003
थाना– एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–बाराबंकी।

दिनांक 09.05.2026

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस आशय का कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तिम आख्या को स्वीकार किये जाने में वादी को कोई आपत्ति नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा मामले की सम्यक विवेचना की गयी है और उपलब्ध साक्ष्य बकाया बिल/राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा किये जाने के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। मामला शमनीय प्रकृति का है। अभियोजन की ओर से उपस्थित विभागीय अधिवक्ता एवं अवर अभियन्ता/ कार्यकारी सहायक द्वारा अंतिम आख्या के सम्बन्ध में कहा गया है कि "अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।" अतः अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मामले में प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या–**501/2025** स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(असद अहमद हाशमी)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
बाराबंकी।
J.O. Code UP 6327